प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।

सूचना का अधिकार अपील संख्या 04/2024

अपीलार्थी	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
चम्पालाल पुत्र मेहराराम गहलोत निवासी– रामपुरा भाटियान, तहसील तिवंरी जिला जोधपुर ग्रामीण।		लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त) कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्रथम सूचना अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

उपस्थितिः–
1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट लोक सूचना अधिकारी(अति0 संभागीय आयुक्त,जोधपुर) उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 28 अक्टूबर,2024

अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (अति0 संभागीय आयुक्त, जोधपुर) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 20.08.2024 को प्रेषित आवेदन में ग्राम सेवक, सरपंच, ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान व अन्य के सम्बन्ध में अंकित बिन्दूओं अनुसार सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया। आवेदन अनुसार सूचनाएं बिन्दूवार नहीं दिये जाने के आधार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 14.10.2024 को यह प्रथम सूचना अपील पेश कर लोक सूचना अधिकारी को उपरोक्त सूचनाएं निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश देने हेतु निवेदन किया है।

अपीलार्थी की उक्त प्रथम सूचना अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी से अपील पर टिप्पणी एवं संधारित पत्रावली तलब की गई तथा सुनवाई हेतु दिनांक 28.10.2024 नियत की जाकर तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई बाबत नोटिस जारी किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथी को अपीलान्ट सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए।

अपीलान्ट की अपील पर लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने अपने पत्रांक एडीसी/सू0अ0/प्र.अ./ 2024/ 156 दिनांक 24.10.2024 को मूल पत्रावली व टिप्पणी प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि आवेदक के प्रार्थना पत्र दिनांक 21.08.2024 के सम्बन्ध में पंचायत शाखा कार्यालय हाजा से टिप्पणी चाही गई जिस पर पंचायत शाखा में उपलब्ध पत्रावली के

सभागीय आयुक्त
जोधपुर

अनुसार 10 पेज की सूचना होने तथा सूचना प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि शुल्क जमा करावाने हेतु आवेदक को दिनांक 20.09.2024 को सूचित किया गया तथा आवेदक को दिनांक 04.10.2024 को सूचना उपलब्ध करवा दी गई। आवेदक के द्वारा आवेदन में अंकित बिन्दूओं पर बिन्दूवार सूचना चाहे जाने पर पुनः दिनांक 10.10.2024 के द्वारा बिन्दूवार सूचनाएं तैयार कर जरिये पत्रांक 148 के द्वारा आवेदक को प्रेषित कर दी गई है। ऐसे में आवेदक के द्वारा चाही गई सूचनओं के सम्बन्ध में समस्त कार्यालय के द्वारा की जा चुकी है तथा आवेदक को भी रजिस्टर्ड डाक द्वारा अवगत कराया गया है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जावें।

हमने अपीलार्थी की अपील एवं लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया तथा संधारित प्रकरण की पत्रावली का एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि आवेदक/प्रार्थी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 21.08.2024 अनुसार कार्यालय से चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय हाजा ने पंचायत शाखा से टिप्पणी/सूचनाए प्राप्त कर 10 पेज की सूचना आवेदक को दिनांक 04.10.2024 को उपलब्ध करवा दी गई। आवेदक के द्वारा आवेदन में अंकित बिन्दूओं अनुसार बिन्दूवार सूचनाए चाहे जाने पर पुनः दिनांक 10.10.2024 के द्वारा बिन्दूवार सूचनाएं तैयार कर जरिये पत्रांक 148 के द्वारा आवेदक को प्रेषित कर दी गई है। ऐसे में आवेदक के द्वारा चाही गई सूचनाए एवं बिन्दूवार सूचनाए जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की जावें।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर